
 <b>कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I, म.प्र.</b> भोपाल शाखा, 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462011 दूरभाष : 0755-2554821, 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in सत्यमेव जयते	 लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा Dedicated to Truth In Public Interest
--	---

क्रमांक/नि.वि.1/स-4/ 26  
2022

दिनांक 27.04-

**कार्यालय आदेश**

मुख्यालय कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 4- Staff 2022 No.16-Staff Entt.II/33-2021 दिनांक 03-02-2022 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के अन्तर्गत भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को निम्नानुसार तीन वर्षों में ब्रीफकेस / ऑफिस बैग / लेडीज पर्स की राशि की प्रतिपूर्ति की जाना है :-

Pay Level	Ceiling (Rs.)
Level 6 to Level 7	3500/-
Level 8 to Level 10	4000/-

निर्माण संभागों में पदस्थ वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी/स.ले.अधि.न.1/1/1/संभागीय लेखापाल, जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के अन्तर्गत भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के कर्मचारी/अधिकारी हैं, को भी मुख्यालय कार्यालय के उक्त परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्तानुसार संभागीय कार्यालय से उपरोक्त पत्रानुसार प्रतिपूर्ति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(प्राधिकार:- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम म.प्र.ग्वालियर के आदेश दिनांक 27-4-2022)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1

क्रमांक/नि.वि.1/स-4/ 133-136

दिनांक 27/04-2022

प्रतिलिपि:-

- (1) समस्त संबंधित मुख्य अभियन्ता -जल संसाधन विभाग,लोक निर्माण विभाग,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,नर्मदा घाटी विकास विभाग,ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- (2) समस्त संबंधित कार्यपालन यंत्री/संभागीय अधिकारी -जल संसाधन विभाग,लोक निर्माण विभाग,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,नर्मदा घाटी विकास विभाग,ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- (3) समस्त कोषालय अधिकारी -मध्य प्रदेश को सूचनार्थ ।
- (4) सभी सम्बंधित संभागीय लेखा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1

(For exclusive use in IA&AD)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय  
9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,  
नई दिल्ली-110 124



Circular No. 4 –Staff 2022  
No.16 –Staff Entt.II/33-2021

OFFICE OF THE COMPTROLLER &  
AUDITOR GENERAL OF INDIA  
9, DEEN DAYAL UPADHYAYA MARG,  
NEW DELHI - 110 124

दिनांक / DATE 3 FEB 2022

To,

All Heads of Offices in IA&AD  
Director (P)

**Sub: Entitlement of reimbursement of briefcase/office bags/ladies purse for official purpose in IA&AD.**

Sir/Madam,

The competent authority has approved the monetary ceiling limit for reimbursement of briefcase/office bags/ladies purse for official use to the entitled officials/officers of IA&AD holding regular post as under:

Pay Level	Ceiling (Rs.)
Level 6 to Level 7	3500/-
Level 8 to Level 10	4000/-

- The entitled officers/officials can purchase briefcase/office bags/ladies purse of their own choice from any private/public outlet. However, reimbursement shall be restricted to the above mentioned ceiling limits.
- The reimbursement of briefcase/office bags/ladies purse shall be made to the above officers/officials on joining this Department or on completion of **three** years from the date of issue of earlier one.
- These orders will be in force from 01.02.2022.
- Hindi version will follow.

Yours faithfully,

(Supriya Singh)

Assistant Comptroller & Auditor General (N)